

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, सोमवार, शके 1947- जुलाई 14, 2025 Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लाखेरी

(अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

2013 की धारा 4(1))

अधिसूचना

लोखेरी, जून 30, 2025

RAJKAJ 16238740 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधान अनुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27/01/2017 के निर्देशानुसार एस.एच.-125 सड़क का ग्राम अरनेठा (जलोदा माइनर से)- अनंतपुरा -टाकरवाडा-बालोद-डोलर से डोलर तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए अनंतपुरा, सारसला, बालोद, रोटेदा, रघुनाथपुरा, करवाला, बनयानी, छावछ एवं छोडेदा राजस्व ग्रामों में किये जाने के प्रयोजन से जिला बूंदी की तहसील केशोरायपाटन में निम्नानुसार प्रभावित गाँवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव
1	बूंदी	केशोरायपाटन	अनंतपुरा
2	बूंदी	केशोरायपाटन	सारसला
3	बूंदी	केशोरायपाटन	बालोद
4	बूंदी	केशोरायपाटन	डोलर
5	बूंदी	केशोरायपाटन	रघुनाथपुरा
6	बूंदी	केशोरायपाटन	करवाला
7	बूंदी	केशोरायपाटन	बनयानी
8	बूंदी	केशोरायपाटन	छावछ
9	बूंदी	केशोरायपाटन	छोडेदा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा “सामाजिक आर्थिक विकास समिति नया रलावता, पोस्ट-गरुडवासी तह. चाकसु जिला -जयपुर (राजस्थान) 303901” एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझाओं/आपत्तियों को समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. पी.पी.पी. माध्यम के तहत विकसित किये जाने वाली परियोजनाओं हेतु अधिनियम की धारा 2(2)(a)(ii) के प्रावधानानुसार प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी।
6. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
7. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्ण /सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग

खण्ड लाखेरी (राजस्थान)

फोन नं. 9462111122

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

सामाजिक आर्थिक विकास समिति

1. श्री कल्याण सिंह (परियोजना निदेशक)

सम्पर्क नं.- 9351776692

कार्यालय- प्लॉट नं. 11, वार्ड नं. 19, कृषि मण्डी के सामने चाकसू 303901 जिला जयपुर
(राजस्थान)

ई-मेल savscks@gmail.com

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।